

Ref. No.: G0 794 / O.A. No. 592/2024

Date: 14/08/2024

From,

Badri Nath Singh,
District Magistrate,
Sonbhadra.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copemicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of response on behalf of respondent no.4 District Magistrate, Sonbhadra in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 11.07.2024 in the matter of O.A. No. 592 / 2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.07.2024 in the matter of O.A. No. 592 / 2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, the response of respondent no.4, District Magistrate, Sonbhadra is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid response may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Your's faithfully,


(Badri Nath Singh)
District Magistrate
Sonbhadra

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 592/ 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled “Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला” appearing in newstrack.com dated 24.03.2024

Order Date- 11.07.2024

Next Listing- 21.08.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SONBHADRA DM OFFICE, LODHI SONBHADRA 231216 UTTAR PRADESH, INDIA IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 11.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 592 OF 2024 IN THE MATTER OF NEWS ITEM TITLED “SONBHADRA फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला” APPEARING IN NEWSTRACK.COM DATED 24.03.2024

That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 11.07.2024 in Original Application No. 592

of 2024 in the matter of News Item titled “Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला ” appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, instructed the following:-

“....1. Issue notice to following respondents who may file their response within one month.

(i). Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Lucknow, Through its Deputy Director General Integrated Regional Office Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow - 226020.

(ii). Uttar Pradesh Pollution Control Board, Through its Member Secretary Building No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010

(iii). Central Pollution Control Board, Through its Member Secretary Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.

(iv). District Magistrate, Sonbhadra DM Office, Lodhi Sonbhadra 231216 Uttar Pradesh, India.

2. List on 21.08.2024.....”

Response-

1. District Megistrate, Sonbhadra had submitted status report before Hon'ble NGT vide its letter no G0683/OA-592/2024 dated 10.07.2024 in pursuant to order dated 22.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No. 592/2024 News Item titled “Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला” appearing in newstrack.com dated

24.03.2024. The letter dated 10.07.2024 is attached herewith as **Annexure-1**.

2. As per letter dated 10.07.2024, UPPCB has issued closure orders to 08 mining leases of District-Sonbhadra under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide letters dated-10.01.2024.
3. In order to ensure the compliance of closure orders issued to 08 mining leases by UPPCB vide letter dated 10.01.2024, District Magistrate, Sonbhadra has directed to Mining Officer, Sonbhadra and Sub-Divisional Megistrate, Obra/Robertsganj, District-Sonbhadra vide reference no. G0633/OA-592/2024 dated-01.07.2024 for effective compliance of closure orders.
4. The mining officer vide their reference no.-886/khanij/2024 dated 05.07.2024 informed that mining activity of 06 out of 08 mining leases are closed / non-operational. Rest 02 mining leases have valid CTO presently.

Therefore, the above response on behalf of the District Magistrate, Sonbhadra as respondent no. 4 is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.


(**Badri Nath Singh**)
District Magistrate,
Sonbhadra.

Ref. No.: G0683/ O.A. No. 592/2024

Date: 10.07.2024

From,

**Chandra Vijay Singh,
District Magistrate,
Sonbhadra.**

To,

**The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copemicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in**

Sub:- Submission of action taken report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 22.05.2024 in the matter of O.A. No. 592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 22.05.2024 in the matter of O.A. No. 592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जाने पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, the action taken report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Your's faithfully,



(Chandra Vijay Singh)
District Magistrate
Sonbhadra

Status Report in pursuant to order dated 22.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No. 592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024

1. Hon'ble NGT vide its Order dated 22.05.2024 on Original Application No. 592/2024 in the matter of News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला " appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, instructed the following:-

".....6. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

- (i). Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Lucknow, Through its Deputy Director General Integrated Regional Office KendriyaBhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow - 226020.
- (ii). Uttar Pradesh Pollution Control Board, Through its Member Secretary BuildingNo. TC-12V VibhutiKhand, Gomti Nagar Lucknow-226 010
- (iii). Central Pollution Control Board, Through its Member Secretary PariveshBhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.
- (iv). District Magistrate, Sonbhadra DM Office, Lodhi Sonbhadra231216 Uttar Pradesh, India.

7. Let notice be issued to the above respondents-3

8. Same issue is pending before the Tribunal in O.A. No. 176/2022. Hence, the office is directed to list this O.A. along with O.A. No. 176/2022 on 11.07.2024..."

2. Hon'ble NGT vide its Order dated 17.10.2023 on Original Application No. 176/2022 in the matter of Aman Chaudhary versus Union of India &Ors, instructed the following:-

".....15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time.

3. For complying of above order dated 17.10.2023 in the matter of OA 176/2022, UPPCB has already issued closure orders to 08 mining leases of District-Sonbhadra under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide letters dated-10.01.2024. The details of mining leases and closure orders copy are attached herewith and marked as Annexure-1.
4. In order to ensure the compliance of closure orders issued to 08 mining leases by UPPCB vide letter dated 10.01.2024, District Magistrate, Sonbhadra has directed to Mining Officer, Sonbhadra and Sub-Divisional Megistrate, Obra/ Robertsganj, District-Sonbhadra vide reference no. G0633/OA-592/2024 dated-01.07.2024 for effective compliance of closure orders. Copy of letter dated 01.07.2024 is attached herewith and marked as (Annexure-2).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 08.07.2024


08/07/2024

(U.K. Gupta)

Regional Officer

U.P.P.C.B

Sonbhadra

जनपद-सोनभद्र में 08 पत्थर / सैण्ड / मोरम परियोजनाओं को जारी बन्दी आदेश की सूची:

| क्र. सं. | पत्थर/सैण्ड/मोरम परियोजनाओं का नाम एवं पता | बन्दी आदेश पत्रांक | दिनांक |
|----------|---|--|------------|
| 1. | मे0 श्रीमती विन्दुमती देवी पत्नी श्री राम चन्द्र रत्ना, निवासी-बिजरी, हरुआ, चुर्क, जनपद-सोनभद्र, सैण्ड स्टोन (खण्डा, गिट्टी एवं रेड मोरम) माइनिंग प्रोजेक्ट, गाटा नं0-52, सिरसिया ठकुरई, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 2. | मे0 श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, पता-वार्ड नं0-21, अशोक नगर, तहसील- राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र, माइनिंग प्रोजेक्ट डोलो स्टोन (गिट्टी, बोल्डर) आराजी संख्या-7536ग मि, खण्ड संख्या-2, (लीज एरिया 4 हे0) ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 3. | मे0 श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, मे0 ए0के0एस0 इण्डस्ट्रीज 514/15, ऐम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, वाराणसी, गाटा नं0-02ग, ग्राम- जाता जुआ, तहसील-दुद्धी, जनपद-सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 4. | मे0 श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री ओंकार नाथ सिंह, निवासी-18/188, अयप्पा मंदिर, सेक्टर-8, ओबरा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र, बिल्ली मारकुण्डी, स्टोन गिट्टी/बोल्डर डोलोस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (खण्ड-4) गाटा नं0-7536ग, मि., बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 5. | श्री अरून सिंह यादव निवासी-बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट-ओबरा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र, मे0 श्री महादेव इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0-4949ख, ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद-सोनभद्र (5.880 हेक्टेयर)। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 6. | श्री अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री अरविन्द कुमार सिंह निवासी-छितौनी, जनपद-वाराणसी, मे0 उन्नति इंजीनियरिंग रिवर बेड सैण्ड/मोरम माइनिंग सोन रिवर, गाटा नं0-221छ, ग्राम-ससनई, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 7. | श्री राजीव कुमार शर्मा निवासी-59, चकरपुरी पेपर मिल कॉलोनी, नियर मेट्रो सिटी, निशातगंज महानगर, लखनऊ आराजी नं0-4478छ, ग्राम- बिल्ली-मारकुण्डी, पोस्ट-ओबरा, जनपद-सोनभद्र (1.80 हे0)। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |
| 8. | श्री अमित मिततल, निवासी-61, बारी, डाला, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र, आराजी नं0-5593क, खण्ड नं0-08, ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट-ओबरा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र। | एच05469/सी-2/एन0 जी0टी0-66/ बंदी आदेश/2024 | 10.01.2024 |



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी-2/एन0जी0टी0-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrurum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha.

यह कि Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrurum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 / सी-2/एन0जी0टी0-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone", (Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha

यह कि Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone", (Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 / सी-2 / एन०जी०टी०-66 / बंदी आदेश / 2024

Dated: 10-01-2024

Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra, U.P. Lease area 1.670 ha.

यह कि Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra, U.P. Lease area 1.670 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बंदी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 / सी-2/एनजीटी-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8, Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha

यह कि Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8, Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बंदी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 / सी-2/एनजीटी-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P.,
M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra,
U.P., (Area : 5.880 ha.)

यह कि Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी-2/एन0जी0टी0-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District- Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrums Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering, Lease Area: 18.215 ha

यह कि Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District- Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrums Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering, Lease Area: 18.215 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी-2/एन0जी0टी0-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Rajeev Kumar Sharma, R/o- 59- Chakarpuri Paper Mill Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,, Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araj No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil -Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha.

यह कि Shri Rajeev Kumar Sharma, R/o- 59- Chakarpuri Paper Mill Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,, Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araj No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil -Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी-2/एन0जी0टी0-66/बंदी आदेश/2024

Dated: 10-01-2024

Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha

यह कि Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरुद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र

पत्रांक-633/OA NO-592/2024


दिनांक-01/07/24

आदेश

1. प्रभारी अधिकारी,
(खनन),
सोनभद्र।
2. उपजिलाधिकारी,
ओबरा/राबर्ट्सगंज,
सोनभद्र।
3. खान अधिकारी,
सोनभद्र।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024 दिनांक-22.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.10.2023 के अनुपालन में जनपद-सोनभद्र के 08 पत्थर खनन परियोजनाओं के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विभिन्न पत्रों दिनांकित 10.01.2024 द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये हैं, जिनकी सूची एवं छायाप्रतियां संलग्न है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण में आच्छादित प्रश्नगत 08 पत्थर खनन परियोजनाओं की अविलम्ब बन्दी सुनिश्चित/खनिज का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। उक्त की सूचना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाले पत्रालेख के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा० एन०जी०टी० में उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई दिनांक-11.07.2024 नियत है।


(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

—
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।